संख्या-70/2022/944/26-3-2022-44(विविध)/2017

प्रेषक

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक: 05 जुलाई 2022

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 संविधान के अनुच्छेद-275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण के लिये विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु बजट प्राविधान के सापेक्ष अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 के प्रभावी क्रियान्यन एवं अनुश्रवण हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-23/32/ज0जा0वि0/2022-23, दिनांक-26.04.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में संविधान के अनुच्छेद-275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण के लिये विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु बजट प्राविधान के सापेक्ष अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 के प्रभावी क्रियान्यन एवं अनुश्रवण हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में संविधान के अनुच्छेद-275(1) के अन्तर्गत अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-2225-02-796- 01-0104-संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण के लिये विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु अनुदान-42-अन्य व्यय मद में प्राविधानित धनराशि रू0-52.30 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0-13,62,102/-(रूपये तेरह लाख बासठ हजार एक सौ दो मात्र) की स्वीकृति वनाधिकार अधिनियम-2006 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु निर्गत किये जाने की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैंः-

(1)- धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि पात्र छात्रों का पुनः मिलान कर लिया गया है।

(2)- कोषागार से उतनी ही धनराशि आहरित/अन्तरित की जायेगी जितनी की पुनर्मिलान के पश्चात पात्र पाये गये छात्रों हेतु आवश्यक होगी।

(3)-धनराशि कोषागार से पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से पात्र छात्रों के बैंक खातो में सीधे अन्तरित की जायेगी।

(4)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु नही किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(5)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज तथा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(7)-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-30 दिसम्बर 2021 में दिये गये दिशा-निर्देशां का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(9)-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(10)-स्वीकृत धनराशि का भुगतान योजना की नियमावली एवं भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा।

(11)-यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(12)-यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/ बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30.12.2021 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

(13)- स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर योजना से सम्बन्धित SNA (Single Nodal Account) में जमा की जायेगी।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें-0104-संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण के लिये विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु अनुदान-42-अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या वित्त ई-4-50-X 2022-23, दिनांक-01 जुलाई 2022 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

<u>पृसं0-70 /2022/944(1)/26-3-2022 तददिनांकः</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
5- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, एन0आई0सी0, लखनऊ।
7- गार्डफाइल

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in